सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/48/2017 दर्ज दिनांकः—07.06.2017

1. लालसिंह पता— .....प्रार्थी

बनाम

2. सामलिया पता— .....अप्रार्थीगण

उपस्थितः

सुरेन्द्रसिंह प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः—12.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प/कोर्ट तुहिया पर पेश। पत्रावली का अवलोकर किया। वादी ने दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हाल आरजी ख.नं. 2163/0.30 है0 वाके ग्राम तुहिया तहसील भरतपुर में स्थित है। जिसके वादी व प्रतिवादी वहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। उक्त विवादित आराजी के अलावा ग्राम जघीना, लुधवाडा (कुम्हेर) में भी आराजी है। वादी व प्रतिवादी अपने पिता के जीवनकाल से मनवट से हिस्सा कर काश्त कर रहे है। वाद ग्रस्त आराजी पर वादी बीसियों साल से काबिज होकर न्यारानूर काश्त कर रहा है। निस्फ हिस्सा की खातेदारी विरासतन प्रतिवादी के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन खिलाफ मौका व कब्जे काश्त में हो गई है, जो काबिल कलमजन के है।

अतः वाके ग्राम तुहिया स्थित ख. नं. 2163/0.30 है के सम्पूर्ण रकवा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादी ने अपने दावा के समर्थन में जमाबंदी संवत 2071—2074 ग्राम तुहिया जमाबंदी संवत 2069—2072 वाके ग्राम उवार जमाबंदी संवत 2068—2071 ग्राम जघीना पेश की है।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलव किया गया। तत्पश्चात दिनांक 21.06.2017 को उभयपक्षकारान के द्वारा राजीनामा पेश किया है, जो बाद तस्दीक संलग्न पत्रावली है। प्रतिवादी समालिया ने राजीनामा में यह तथ्य तस्दीक कराया है कि वादी व प्रतिवादी पर ग्राम तुहिया, जघीना व उबार में भी जमीन है। सभी का मनवट कर रखा है। उनके पिता स्वर्गीय बीरबल 20 वर्ष पूर्व बंटवारा कर गए थे। ख. नं 2163/0.30 है0 पर वादी ही स्वामित्व व अधिपत्यधारी ताहाल तक है और इस पर काबिज रह कर काश्त कर रहा है। सम्पूर्ण रकवा का वाद खातेदार काश्तकार है। दावा वादी डिक्री कर दिया जावें तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने वादी द्वारा प्रस्तुत दावा के समर्थन में समस्त दस्तावेजात एवं प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया। वादी व प्रतिवादी सगे भाई है जो स्व0 बीरबल के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पुत्र है। इनकी उपरोक्त वर्णित अन्य ग्रामों भी जमीन है। जिनका वैधानिक रूप से बटवारा न होकर आपसी मनवट से काश्त कर रहे है। वाद ग्रस्त सम्पूर्ण आराजी को वादी के नाम हस्तान्तरण करने में प्रतिवादी द्वारा राजीनामा में अपनी सहमति दी है तथा इस बाबत अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। प्रकरण में कोई वाद विवाद भी लम्बित नहीं है। वाद ग्रस्त आराजी पैतृक है। अतः वर विनाय राजीनामा दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है किः—

वर विनाय राजीनामा दावा वादी स्वीकार किया जात है। वाके ग्राम तुहिया तहसील भतरपुर स्थित आ0 ख0नं0 2163/0.30 है सम्पूर्ण रकवा पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। राजीनामा डिक्री के जुड रहेगा। चूंकि प्रकरण मुद्राक करायवंचन से सम्बन्धित है। अतः तहसीलदार भरतपुर को निर्देशित किया जाता है िकवह पालना से पूर्व निस्फ हिस्से की खातेदारी रकवा की स्टाम्प ड्यूटी नियमानुसार जमा करावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)
सहायक कलेक्टर भरतपुर,भरतपुर